

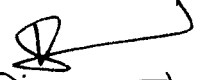
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांकC/3275/

जबलपुर, दिनांक 2 / 5 / 2025

श्री नारायण, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 08/02/2025 से 17/02/2025 तक 10 दिन एवं दिनांक 03/03/2025 से 22/03/2025 तक 20 दिन को अवैतनिक किया जाता है तथा कठोर चेतावनी दी जाती है जो कि सेवापुस्तिका में इन्द्राज की जावेगी।

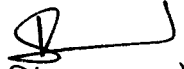

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांकC/3276/

जबलपुर, दिनांक 2 / 5 / 2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को इस निर्देश के साथ की आदेश सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किया जावे,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री नारायण, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)